

"प्रूप 26"  
(नियम 4क देखिए)



15- मुजाफ़रपुर

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए  
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं प्रभात सुमन \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी किशोर सुमन<sup>आयु 33 वर्ष, जो ग्राम- हुसैपुर, पो- पैगांवरपुर,</sup>  
<sup>भाया- सिभीत, जिला- मुजाफ़रपुर, राज्य- बिहार- 843119</sup>

B.NO 87 SI.NO 5 (डाक का  
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं-

(1) मैं आम आदमी पार्टी (\*\*राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / \*पक्ष संबंध अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दे)

- (2) मेरा नाम 92, सकरा, विधानसभा, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 107 के क्रम सं 317 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 09654607053 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) 7352902038 prabhatSuman80@gmail.com
- (4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

Authorised U/S 8(1)(e) of the  
Notaries Act 1952 &  
Under rule II of the Notaries  
Act 1956

Prabhat Suman



क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	CDKPSI549D	शुन्य	शुन्य
2.	पति या पत्नी	AGKPC4567G	2012-13	4,00000/-
3.	आश्रित-1	शुन्य	शुन्य	शुन्य
4.	आश्रित-2	शुन्य	शुन्य	शुन्य
5.	आश्रित-3	शुन्य	शुन्य	शुन्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :- शुन्य

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुन्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुन्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शुन्य
(ङ.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुन्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं	शुन्य

*Rakesh Kumar*

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है  
 {पूर्वोक्त}

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:- शुन्य



(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<u>शुन्य</u>
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	<u>शुन्य</u>
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	<u>शुन्य</u>

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: शुन्य

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	<u>शुन्य</u>
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदशों) की तारीख (तारीखें)	<u>शुन्य</u>
(ग)	अधिरोपित दंड	<u>शुन्य</u>
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	<u>शुन्य</u>

*Rakesh Kumar*



(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रकम आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	स्त्री या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	5,000/-	10,000/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	जमा 150,000/- इक्सीस बैंक C/A - 9100- 20009176058	जमा 20,000/- ओरिंग्स बैंकडॉफ कॉर्स	पुत्र F.I.D. DENA BANK 50,000/-	शुन्य	शुन्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

Prabhat Kumar

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	स्वास्थ्य बीमा 75,000/-	स्वास्थ्य बीमा 75,000/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के बौरे)	60,000/-	4,00000/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य आ. स्थावर आस्तियों के बौरे	1,91,500/-	50 5000/-	50,000/-	शुन्य	शुन्य

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवरिथितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	417/1906 1979 विजयपुर, (सकरा)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1 एकड़	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

Rakesh Kumar



विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii) गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii) वणिजिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(IV) आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	549-C, गुरुनानकजगत मणिकली नई दिल्ली-92 117/561 इस्पुर, सकरा	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	315+415	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	730	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

*Rekhabat Summary*

क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
विकास, संनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(VI) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	61,00000/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वंय	मस्ति या पल्ली	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	कोई अन्य दायित्व	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	दायित्यों का कुल योग	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	आय-कर शोध्य	शुन्य	7,000/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य

	धनकर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सेवाकर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	नगरपालिका / संपति कर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विक्रयकर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	कोई अन्य शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग			शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं चिकित्सक (दंत शाल्य चिकित्सा)

(ख) मति या पत्नी टैक्नोलॉजिस्ट (हिस्टोपैथोलॉजी)



(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

1. मैट्रीक - B.S.E.B. - 1996 घरपरामैथ मठ, मुज़ - 2. आई.एस.सी. (10+2) - C.B.S.E. - 1998  
मार्डन स्कूल, नौयडा 3. बी.डी.एस. (ऑफर्स), L.N.M.U. दरभंगा इंस्टिट्यूट कॉलेज, 2007  
दाउस सर्जनशीप - भौलाना भाजाद दंत विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली - 2008

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

*Rahul Kumar*

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमा० प्रभात सुमन			
2	डाक का पता	ग्राम-हुसैपुर, पौ.-पैगंबरपुर मासा-सिल्वित, ज़िला-मुजफ्फरपुर 843119			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	15-मुजफ्फरपुर			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा रवंत्र लिखें)	आम आदमी पार्टी			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।  (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिल्न)	शुन्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शुन्य			
7		..... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी } (ख) पति या पत्नी	CDKPS1549D AGKPC45676	शुन्य 2012-13	शुन्य 4,00000/-	
8	(ग) आश्रित	शुन्य	शुन्य	शुन्य	
	आसितयों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)				
	विवरण	स्वयं	मति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जगम आसितयां (कुल मूल्य)	1,91,500/-	50,5000/-	50,000/-	शुन्य
ख	स्थावर आसितयां	61,00000/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य



	I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास / संरिमाण लागत (यदि लागू हो)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
9		दायित्व	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	शुन्य				
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	बी. डी. एस. (ऑनर्स)				
		(प्रमाणपत्र / डिलोमा / डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

(प्रमाणपत्र / डिलोमा / डिग्री के पूर्ण प्रस्तुप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

*Robert Burns*

## सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वरतु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आक्षितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख ...12-04-2014... को सत्यापित किया गया।



~~Bherat Bhushan  
Advocate  
12-04-2014~~

The deponent identified by Ad. No. 84 has  
Solemnly affirmed & Declared before me  
*Prabhat Suman*

Suresh Kumar  
NOTARY, MUZAFFARPUR

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या / संख्यायें हैं/हैं 09654607053, 7352902038

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है prabhat.suman80@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है DrPrabhat.Suman/facebook.com